



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख, 1942 (श०)

संख्या- 184 राँची,

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2020

संख्या-07डी/अधिवक्ता लिपिक-17/2020- 456 जे/0-- झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 की धारा- (1) की उप-धारा-(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 24 अप्रैल, 2020 से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तिथि नियत करती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ।

Law Department

Notification24th April, 2020

Notification No.-07 D/Advocate clerk's-17/2020- 456 /J--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section (1) of the Jharkhand Advocates Clerks' Welfare Fund Act, 2018, the State Government hereby appoints the 24th Day of April, 2020 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

By order of the Governor of Jharkhand,

Pradeep Kumar Srivastava,

Principal Secretary-cum-L.R.

Law Department, Ranchi.
